



## उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर भवन,  
ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ

Email- contactuprera@up-rera.in

संख्या: 10520/यू.पी.रेरा/प्रशा./2025-26

दिनांक: 10 अक्टूबर, 2025

### आदेश

प्रदेश के रियल-एस्टेट सेक्टर के विकास में भू-संपदा अभिकर्ताओं की अहम भूमिका एवं योगदान को ध्यान में रखते हुए एवं अभिकर्ताओं द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों में और अधिक स्थिरता लाए जाने के उद्देश्य से उ.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (उ.प्र. रेरा) द्वारा अभिकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि अभिकर्ताओं को विनियमन संरचना का ज्ञान हो, रेरा अधिनियम के प्राविधानों एवं नियमों की पर्याप्त जानकारी हो, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु सहज रुझान हो एवं सेक्टर के विनियमन एवं समग्र विकास में भी वृद्धि हो।

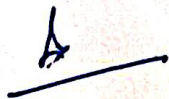
इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा कार्यालय आदेश संख्या: 14791/यू.पी.रेरा/प्रशा.प्रको./2024-25, दिनांक 17.10.2024 एवं आदेश संख्या: 5051/यू.पी.रेरा/प्रशा./2025-26, दिनांक 16.05.2025 जारी किये गये हैं।

सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त सन्दर्भित आदेश दिनांक 17.10.2024 एवं 16.05.2025 को अतिक्रमित करते हुए प्राधिकरण द्वारा रियल इस्टेट अभिकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम के सम्बन्ध में व्यवस्था निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

### क- प्रशिक्षण हेतु पात्रता

1. प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम रेरा अधिनियम, उ.प्र. रेरा नियमावली, विनियमों, समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों, हितधारकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों, घर खरीदारों तथा प्रमोटर्स के मध्य रियल एस्टेट लेनदेन को सुविधाजनक बनाने हेतु प्रासंगिक कानूनों पर केंद्रित होगा।
2. उ.प्र. रेरा में अभिकर्ताओं के नये रजिस्ट्रेशन अथवा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अमेंडमेंट संबंधी ऑनलाइन आवेदन प्रशिक्षण एवं प्रमाणन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।
3. प्रशिक्षण कार्यक्रम नॉन-रेजीडेन्शिएल होगा। इसकी अवधि कुल चार दिवसों की होगी। कार्यक्रम के चौथे दिन परीक्षा का आयोजन होगा। प्रशिक्षणार्थियों की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के आधार पर सफल अभिकर्ताओं को प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाएंगे।

4. प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन इण्डिया लिटरेसी बोर्ड (आई.एल.बी.), लखनऊ और यथानिर्णय कानपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से एन.आई.ई.टी., ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर में किया जाएगा।
5. प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र के आधार पर सम्बन्धित व्यक्ति
  - 5.1 उ.प्र. रेरा में एकल अथवा प्रोपराइटरशिप अभिकर्ता के रूप में पंजीकरण आवेदन अथवा पंजीकरण एमेन्डमेन्ट आवेदन कर सकता है।
  - 5.2 उ.प्र. रेरा में अभिकर्ता के रूप में पंजीकृत किसी पार्टनरशिप-फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) अथवा कंपनी में किसी भी पोजीशन पर कार्य कर सकता है।
6. रेरा अधिनियम, 2016 एवं उ.प्र. रेरा नियमावली के प्रविधानों के अनुसार पार्टनरशिप, एलएलपी अथवा कंपनी के रूप में नए एजेंट के रूप में पंजीकरण आवेदन अथवा पंजीकरण एमेन्डमेन्ट आवेदन करने के लिए समस्त पार्टनर्स/डायरेक्टर्स/सीईओ का प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।
7. पार्टनरशिप, एलएलपी अथवा कंपनी के रूप में उ.प्र. रेरा में नए एजेंट के रूप में पंजीकरण हेतु अथवा पंजीकरण एमेन्डमेन्ड हेतु उस इन्टिटी के सभी पार्टनर्स/डायरेक्टर्स/सीईओ के साथ-साथ ऐसी समस्त मानव-सम्पदा एवं कार्मिक अथवा जिस किसी नाम से भी उस इन्टिटी में वे जाने जाते हों, जो घर खरीदारों द्वारा यूनिट/प्लॉट आदि के क्रय से संबंधित कार्यों में संलग्न हो, के लिए उपर्युक्त प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। इनके द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम में सफल होने के उपरान्त नए एजेंट के रूप में पंजीकरण हेतु अथवा पंजीकरण एमेन्डमेन्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
8. प्रत्येक एजेंट, जो पूर्व से उ.प्र. रेरा में एकल अथवा प्रोपराइटर के रूप में पंजीकृत हैं एवं सभी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए उपर्युक्त प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।
9. इसी प्रकार प्रत्येक एजेंट, जो पूर्व से उ.प्र. रेरा में पार्टनरशिप-फर्म, एलएलपी, कंपनी अथवा संस्थान के रूप में पंजीकृत है, के समस्त पार्टनर्स/डायरेक्टर्स/सीईओ आदि और उस इन्टिटी की ऐसी समस्त मानव-सम्पदा एवं कार्मिक अथवा जिस किसी नाम से भी उस इन्टिटी में वे जाने जाते हों, जो घर खरीदारों द्वारा यूनिट/प्लॉट आदि के क्रय से संबंधित कार्यों में संलग्न हो, के लिए उपर्युक्त प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।



ख- प्रशिक्षण शुल्क एवं आवेदन प्रक्रिया

10. प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी रु.6,000/- का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। ऐसे आवेदक - एकल, प्रोपाराइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी अथवा कंपनी आदि- जिनके द्वारा पूर्व में प्रति प्रशिक्षणार्थी रु.5,000/- का भुगतान किया गया है, वह अतिरिक्त रु.1,000/- का भुगतान रेरा पोर्टल पर अपने लॉगिन स्थित डैशबोर्ड के माध्यम से करेंगे।
11. प्रदेश के समस्त इच्छुक आवेदकों के द्वारा एजेन्ट प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु उ.प्र. रेरा पोर्टल पर प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण कराया जाएगा।
12. प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा प्रशिक्षण-केंद्र पर निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा -
  - i. एक पासपोर्ट साइज नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ (फॉर्मल ड्रेस में)
  - ii. फोटो आईडी-कार्ड की प्रति (आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/पासपोर्ट/वोटर कार्ड)।
13. आवेदकों को प्रशिक्षण हेतु ट्रेनिंग-बैच अलॉटमेंट होने पर इसकी सूचना ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। आवेदकों को प्राधिकरण के ईमेल के उत्तर में प्रश्नगत ट्रेनिंग-बैच में अपनी प्रतिभागिता के संबंध में पुष्टि करना अनिवार्य होगा।
  - i. जिन आवेदकों द्वारा निर्धारित ट्रेनिंग-बैच में असमर्थता व्यक्त की जाएगी, उनका प्रशिक्षण आगामी प्रशिक्षण सत्रों में किया जाएगा।
  - ii. जिन आवेदकों द्वारा सम्बन्धित बैच में प्रतिभाग नहीं किया जाता है, उन्हें आगामी दो प्रशिक्षण सत्रों में प्रतिभाग करने हेतु अवसर देते हुए सूचित किया जाएगा। तीन अवसरों के उपरान्त भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं लेने की स्थिति में उनके द्वारा जमा किये गये शुल्क की धनराशि रु.6000/- में से प्रोसेसिंग शुल्क रु.1000/- कटौती करते हुए रु.5000/- उनके खाते में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से रिफण्ड कर दिया जाएगा। इस हेतु सम्बन्धित अभिकर्ता द्वारा अपने बैंक खाते एवं आई.एफ.एस. कोड आदि की जानकारी इण्डिया लिटरेसी बोर्ड, लखनऊ अथवा कानपुर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जाएगी। भविष्य में प्रशिक्षण हेतु इच्छुक होने की स्थिति में शुल्क की पूर्ण धनराशि जमा करते हुए उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया फिर से पूर्ण करनी होगी।
14. प्रशिक्षणोपरांत हुए मूल्यांकन में असफल प्रशिक्षणार्थियों द्वारा आगामी प्रशिक्षण सत्र में रु.3000/- प्रशिक्षण शुल्क जमा करते हुए प्रशिक्षण हेतु पुनः पंजीकृत किया जा सकेगा।



15. प्रशिक्षण मूल्यांकन के उपरान्त सफल हुए प्रशिक्षणार्थियों को उ.प्र. रेरा मुख्यालय पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु प्रतिभागी के लिए व्यक्तिगत रूप से फॉर्मल ड्रेस में प्राधिकरण मुख्यालय पर उपस्थित होकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
16. फर्म, पार्टनरशिप, एलएलपी अथवा कम्पनी के प्रतिनिधि के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए प्रतिभागियों को प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्र में उस प्रतिभागी द्वारा सम्बन्धित फर्म, पार्टनरशिप, एलएलपी अथवा कम्पनी के प्रतिनिधि के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने का उल्लेख रहेगा। किन्तु यह प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रतिभागी हेतु तब भी वैध रहेगा, जब वह उस फर्म, पार्टनरशिप, एलएलपी अथवा कम्पनी से इतर किसी अन्य रियल इस्टेट एजेन्सी/ प्रतिष्ठान में कार्य करने लगता है अथवा अपना स्वयं का पृथक पंजीकरण रेरा में प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है।
17. पूर्व में पंजीकृत अभिकर्ताओं द्वारा दिनांक 31.12.2026 तक प्रशिक्षण ग्रहण कर प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

  
(महेन्द्र वर्मा)  
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा. अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा को मा. अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
2. विधि सलाहकार, उ.प्र. रेरा।
3. वित्त नियंत्रक, उ.प्र. रेरा।
4. वित्त परामर्शदाता, उ.प्र. रेरा।
5. तकनीकी सलाहकार, उ.प्र. रेरा।
6. संयुक्त सचिव एवं उपसचिव (क्षे.का.), उ.प्र. रेरा।
7. सहायक निदेशक सिस्टम्स, उ.प्र. रेरा।
8. उ.प्र. रेरा में पंजीकृत समस्त अभिकर्ताओं एवं प्रमोटरर्स को अनुपालनार्थ।
9. गार्ड फाइल।

  
(महेन्द्र वर्मा)  
सचिव